



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267013
CG-DL-E-18102025-267013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4590]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4590]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4719(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 42 (मुदिगुब्बा से कदिरि सेक्शन) के कि.मी.136/400 से कि.मी.158/800 तक के निर्माण, (चार लेन का बनाना आदि) प्रबंधन, प्रचालन और आरक्षण, हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 42 के कि.मी. 136/400 से कि.मी. 158/800 (मुदिगुब्बा से कदिरि सेक्शन)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जॉइंट कलेक्टर, श्री सत्य साई डिस्ट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH42 के कि.मी. 136.4 से कि.मी. 158.8 तक	आंध्र प्रदेश	श्री सत्य साई	कदिरि	1 पटनाम 2 येरदोडुडी 3 कुटागुल्ला 4 कालसमुद्रम
					मुदिगुब्बा	1 मालाकावेमुला 2 सानेवरीपल्ले 3 नागरेडुडीपल्ले

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

S.O. 4719(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 4 laning from Km. 136/400 to Km. 158/800 of NH-42 (Mudigubba to Kadiri Section) in Sri Satya Sai District in the state of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No. 42 from Km. 136/400 to Km. 158/800 of Mudigubba to Kadiri Section in Sri Satya Sai District in the state of ANDHRA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Joint Collector, Sri Satya Sai Dist	NH42 KM 136.4 TO KM 158.8	ANDHRA PRADESH	Sri Satya Sai	Kadiri	1 Patnam 2 Yerradoddi 3 Kutagulla 4 Kalasamudram
					Mudigubba	1 Malakavemula

						2	Sanevaripalle
						3	Nagareddipalle

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director